राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........2196 / 2015...................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स शार्प बिजनेस सिस्टम्स (इण्डिया) लिमिटेड, जे–54–सी, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, कर भवन, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
02 / 02 / 2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II / स्थगन / अ.सं. 379 / 15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.09.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 60 व 61 से सृजित कुल मांग राशि रूपये 19,38,268 / – में से रूपये 18,93,108 / – की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुंए, रूपये 14,60,000 / – की वसूली को स्थगित करते हुए शेष राशि रूपये 4,33,108 / – पर स्थगन से इंकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अवशेष बकाया मांग राशि रूपये 4,33,108 / – की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि **रूपये 4,33,108 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्रांप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 2-2-2016 मनोहर पुरी 02/02/2016 सदस्य सदस्य	